शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला- कोरिया (छ.ग.)

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों के लिये आचार - संहिता

1. प्रत्येक शासकीय सेवक सदैव ही पूर्ण रूप से संनिष्ठ रहे। कर्तव्यपरायण रहे और ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो कि उसके लिए अशोभनीय हो।
2. अपने पदीय कृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करे।
3. ऐसा कुछ नहीं करें जो अनुशासनहीता का द्योतक हो।
4. प्रत्येक कार्य दिवस पर महाविद्यालय में 07 घण्टे अर्थात् प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक रूकना आवश्यक होगा।
5. कोई भी शासकीय सेवक किसी महिला के कार्य स्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।
6. प्रत्येक कर्मचारी जो भी किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी भी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के उपयुक्त कदम उठायेगा।
7. कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी ऐसे संगठन जो राजनीति में भाग लेता हो, का सदस्य नहीं बनेगा और उससे अन्यथा संबंध रखेगा।
8. कोई भी शासकीय सेवक स्वयं को किसी भी प्रदर्शन में नहीं लगायेगा या उसमें भाग नहीं लेगा, अन्यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के प्रावधानों से दण्डित होगा।
9. कोई भी शासकीय सेवक चाहे आकस्मिक अवकाश ही क्यों न हो, उसके स्वीकृत हो जाने के पूर्व (आपात दशा को छोड़कर) अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा।
10. कोई भी शासकीय सेवक केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रचलित या तात्कालिक नीति या कार्य की प्रतिकूल आलोचना नहीं करेगा।
11. कोई भी शासकीय सेवक किसी भी प्रकार के उद्देश्य के लिए बिना पूर्व स्वीकृति के नगदी में या वस्तु के रूप में अंशदान न मांगेगा और न स्वीकार करेगा।
12. कोई भी शासकीय सेवक किसी सार्वजनिक स्थान में नशे की हालत में उपस्थित नहीं हेगा, साथ ही किसी मादक पेय या औषधि का अभ्यासगत अति सेवन नहीं करेगा।
13. महाविद्यालय के सभी आयोजनों, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के उद्घाटन, समापन समारोह आदि में उपस्थिति अनिवार्य होगी। उचित कारण पर आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
14. 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश चढ़ेगा, किन्तु ध्वजारोहण में कहीं भी सम्मिलित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा ।
15. समय–समय पर जारी संशोधनों एवं नये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
16. प्रशासनिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को सौपें गए दायित्वों/ कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।
17. कोई भी शासकीय सेवक कोई भी उपहार न तो स्वीकार करेगा और न उसे स्वीकार करने के लिए अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य को या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इसकी इजाजत देगा।
18. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 19 (1) के अनुसार शासकीय सेवकों द्वारा अपने अचल सम्पत्ति के संबंध में वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर, जिला- कोरिया (छ.ग.)

महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिये आचार - संहिता

1. शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के लिए प्रतिमान बनें।
2. प्रत्येक कार्य दिवस पर शिक्षक को महाविद्यालय में 07 घण्टे अर्थात् प्रातः 10.30 बजे से सायं 5.30 बजे तक रूकना आवश्यक होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा पूर्व प्रश्न पत्र निर्माण, आयोजित परीक्षाओं के संचालन एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संबंध में दिए गए कार्य का निष्पादन करेंगे।
4. महाविद्यालय परिसर में किसी भी शिक्षक की उपस्थिति के आसपास अनुशासन की जिम्मेवारी सम्बन्धित शिक्षक की होगी
5. प्रायोगिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम शत–प्रतिशत पूर्ण हो। प्रायोगिक कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के कक्षावार मोबाइल नम्बर रखें जायें।
6. कक्षा में मोबाइल लेकर किसी भी कीमत पर न जाए।
7. प्रति प्रश्नपत्र गत वर्ष के अतिरिक्त कम से कम पांच व्याख्यान प्रोजेक्टर पर अवश्य पढ़ाएं। पुस्तकालय की सभी पुस्तकें 2 मई से पूर्व प्रतिवर्ष जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें।
8. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु अवकाश एक दिन पूर्व स्वीकृत कराए। अवकाश स्वीकृत कराए बिना अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर अवैतनिक अवकाश मान लिया जायेगा ।
9. महाविद्यालय के सभी आयोजनों, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के उद्घाटन, समापन समारोह आदि में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उचित कारण पर आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है।
10. 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश चढ़ेगा, किन्तु ध्वजारोहण में कहीं भी सम्मिलित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा ।
11. समय–समय पर जारी संशोधनों एवं नये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।
12. शिक्षकों को सौपें गए दायित्वों/ कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)

7.1.10 (a)

शासकीय रामानुज प्रताप सिंहदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैकुण्ठपुर,

जिला- कोरिया (छ.ग.)

महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिये आचरण - संहिता

सामान्य नियमः

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिये।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग वाली गाली–गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
8. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी/ एन.एस.एस– में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।

2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा ।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में सही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा ।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि का तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

परीक्षा सम्बंधी नियम

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान आयोजित होने वाली 07 आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 05 में सम्मिलित होना आवश्यक है एवं त्रैमासिक तथा परीक्षा पूर्व परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थता की स्थिति में आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न हो पाने पर विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का पोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

PRINCIPAL
Govt.R.P.S.Dev P.G.College
Baikunthpur, Korea (C.G.)